

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (60). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (60), दिनांक 1-9-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-34/2015/CT/V (60). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Department's Notification No. F-10-17/2015/CT/V (30), dated 31-3-2015, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

In column (3) of each serial numbers 1 and 2 of the Schedule, for the words "Whole of tax", the words "Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent" shall be substituted.

This notification shall come into force from the date 1st September, 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattishgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (61). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 1-9-2015 से 31-3-2016 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	माल के वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	सभी प्रकार के कपड़े (हैसियन क्लॉथ को छोड़कर)	संपूर्ण कर
2.	शक्कर एवं खांडसारी (मिश्री, चिरौजी, इलायची दाना और बताशा को छोड़कर)	संपूर्ण कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (61). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (61), दिनांक 1-9-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-34/2015/CT/V (61). — In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 1-9-2015 to 31-3-2016, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	All varieties of cloth (excluding hessian cloth)	Whole of tax
2.	Sugar and khandsari (excluding mishri, chironji, elaichi dana and batasha)	Whole of tax

By order and in the name of the Governor of Chhattishgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015— चैत्र 27, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-14/2015/वाक/पांच (25). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976), की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/64/2014/वाक/पांच (66), दिनांक 1-7-2014 में, निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम-4 में शब्द “पच्चीस” के स्थान पर शब्द “तीस” प्रतिस्थापित किया जाए.

2. उक्त संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2015 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक एफ-10-14/2015/वाक/पांच (25). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2015/वाक/पांच (25), दिनांक 31-03-15 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2015

NOTIFICATION

No. F-10-14/2015/CT/V (25).— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesch Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10/64/2014/CT/V (66), dated 1-7-2014 :-

AMENDMENT

In column (4) of Schedule to the said notification, for words "Twenty five" the word "Thirty" shall be substituted.

2. The said amendment shall come into effect from 1st April 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015— चैत्र 27, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (30). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (4) में दी गई निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 1-4-2015 से 31-3-2016 तक की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन एवं शर्तें (4)
1.	अनुसूची-दो की प्रविष्टि क्रमांक 8 में विनिर्दिष्ट सभी प्रकार के कपड़े	संपूर्ण कर	-
2.	अनुसूची-दो की प्रविष्टि क्रमांक 9 में विनिर्दिष्ट शक्कर एवं खांडसारी	संपूर्ण कर	-
3.	जस्ता	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाई द्वारा पाईप के गेल्वेनाईजिंग हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग एवं उपभोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो.
4.	अनुसूची-तीन की प्रविष्टि क्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट राईस ब्रान	संपूर्ण कर	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (30). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (30), दिनांक 31-3-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2015

NOTIFICATION

No. F-10-17/2015/CT/V (30).— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 1-4-2015 to 31-3-2016, subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the Schedule to the said Act, namely :

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restriction and conditions (4)
1.	All varieties of cloth as specified in entry No. 8 of Schedule-II	Whole of tax	-
2.	Sugar and khandsari as specified in entry No. 9 of Schedule-II	Whole of tax	-
3.	Zinc	Whole of tax	When entered into a local area by a industrial unit registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use or consumption as raw material in galvanizing of pipe.
4.	Rice bran as specified in entry No. 3 of Schedule-III	Whole of tax	-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (31). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 1-4-2015 की प्रभावशीलता से, निम्नलिखित संशोधन करती है :-

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (30). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (30), दिनांक 31-3-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2015

NOTIFICATION

No. F-10-17/2015/CT/V (30).— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 1-4-2015 to 31-3-2016, subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the Schedule to the said Act, namely :

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restriction and conditions (4)
1.	All varieties of cloth as specified in entry No. 8 of Schedule-II	Whole of tax	-
2.	Sugar and khandsari as specified in entry No. 9 of Schedule-II	Whole of tax	-
3.	Zinc	Whole of tax	When entered into a local area by a industrial unit registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use or consumption as raw material in galvanizing of pipe.
4.	Rice bran as specified in entry No. 3 of Schedule-III	Whole of tax	-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (31). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 1-4-2015 की प्रभावशीलता से, निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2007/वाक/पांच (24), दिनांक 2-4-2007 में :-
 - (एक) उक्त अधिसूचना की अनुसूची के अनुक्रमांक 4 के सामने कॉलम (4) में शब्द “एक करोड़” के स्थान पर शब्द “पांच करोड़” प्रतिस्थापित किये जाएं ;
 - (दो) उक्त अधिसूचना की अनुसूची के अनुक्रमांक 11 एवं 31 से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (34), दिनांक 1-4-2010 की अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम (4) में शब्द “एक करोड़” के स्थान पर शब्द “पांच करोड़” प्रतिस्थापित किये जाएं.
3. अधिसूचना क्रमांक एफ-10-1/2010/वाक/पांच (3), दिनांक 20-1-2010 को, दिनांक 1-4-2015 की प्रभावशीलता से, विखंडित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (31). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (31), दिनांक 31-3-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2015

NOTIFICATION

No. F-10-17/2015/CT/V (31).— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthanika Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby , makes the following amendment, with effect from 1-4-2015 :-

AMENDMENT

1. In notification No. F-10/33/2007/CT/V (24), dated 2-4-2007 :-
 - (i) In column (4) against serial No. 4 of the Schedule to the said notification, for the words “one crore”, the words “five crore” shall be substituted;
 - (ii) In the Schedule to the said notification, serial No. 11 and 31 shall be omitted.
2. In notification No. F-10/29/2010/CT/V (34), dated 1-4-2010, in column (4) against serial No. 2 of the Schedule for the words “one crore”, the words “five crore” shall be substituted.

3. Notification No. F-1-1/2010/CT/V (3), dated 20-1-2010 is rescinded with effect from 1-4-2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (32). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (4) में दी गई निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 1-4-2015 से 31-3-2016 तक की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन एवं शर्तें (4)
1.	अनुसूची-दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा सुपरस्ट्रक्चर सहित बायो-टॉयलेट तथा इसके कम्पोनेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु प्रवेश कराया गया हो।
2.	अनुसूची-दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बनाई गई “अफोर्डेबल-हाऊसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना के दिशा-निर्देश दिसम्बर, 2013” के अधीन, रिहायशी आवास निर्माण परियोजना में उपयोग होने वाले प्रीकास्ट, प्रीफेब्रीकेटेड, मोनोलिथिक कान्क्रीट उत्पाद के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग अथवा उपभोग हेतु प्रवेश कराया गया हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

3. Notification No. F-1-1/2010/CT/V (3), dated 20-1-2010 is rescinded with effect from 1-4-2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (32). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (4) में दी गई निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 1-4-2015 से 31-3-2016 तक की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन एवं शर्तें (4)
1.	अनुसूची-दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा सुपरस्ट्रक्चर सहित बायो-टॉयलेट तथा इसके कम्पोनेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु प्रवेश कराया गया हो।
2.	अनुसूची-दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बनाई गई “अफोर्डेबल-हाऊसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना के दिशा-निर्देश दिसम्बर, 2013” के अधीन, रिहायशी आवास निर्माण परियोजना में उपयोग होने वाले प्रीकास्ट, प्रीफेब्रीकेटेड, मोनोलिथिक कान्क्रीट उत्पाद के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग अथवा उपभोग हेतु प्रवेश कराया गया हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (32). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-17/2015/वाक/पांच (32), दिनांक 31-3-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2015

NOTIFICATION

No. F-10-17/2015/CT/V (32).— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaneya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 1-4-2015 to 31-3-2016, subject to the restriction and conditions in specified in column (4) of the schedule the said Act, namely :

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restriction and conditions (4)
1.	Goods specified in Schedule-II and III	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use or consumption as raw material in the manufacture of biotoilet with super structure and its components for sale in the State of Chhattisgarh.
2.	Goods specified in Schedule-II and III	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use or consumption as raw material in the manufacture of precast, prefabricated, monolithic concrete product used in construction of residential housing project under the "Scheme of Residential Housing in partnership guidelines of December 2013" framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015— चैत्र 27, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-18/2015/वाक/पांच (33) .— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा, दिनांक 1-4-2015 की प्रभावशीलता से, निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

निम्न अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक “2015” के स्थान पर, अंक “2016” प्रतिस्थापित किया जाये :-

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	ए-3/28/2000/वि. क./पांच (33)	13-04-2000
2.	एफ-10/20/2003/वाक/पांच (39)	01-05-2003
3.	एफ-10/70/2003/वाक/पांच (93)	06-10-2003
4.	एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17)	30-03-2006
5.	एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50)	28-04-2006
6.	एफ-10/33/2007/वाक/पांच (24)	02-04-2007
7.	एफ-10-29/2010/वाक/पांच (34)	01-04-2010

(1)	(2)	(3)
8.	एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24)	31-03-2011
9.	एफ-10/17/2012/वाक/पांच (16)	31-03-2012
10.	एफ-10/08/2013/वाक/पांच (10)	28-03-2013
11.	एफ-10/49/2014/वाक/पांच (40)	04-03-2014

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक एफ-10-18/2015/वाक/पांच (33)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-18/2015/वाक/पांच (33), दिनांक 31-03-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2015

NOTIFICATION

No. F-10-18/2015/CT/V(33).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthanika Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment, with effect from 1-4-2015:-

AMENDMENT

In the following notifications for the figure “2015” related to period of the notification, the figure “2016” shall be substituted :-

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	A-3/28/2000/S.T/V (33)	13-04-2000
2.	F-10/20/2003/CT/V (39)	01-05-2003
3.	F-10/70/2003/CT/V (93)	06-10-2003
4.	F-10/29/2006/CT/V (17)	30-03-2006
5.	F-10/58/2006/CT/V (50)	28-04-2006

(1)	(2)	(3)
6.	F-10/33/2007/CT/V (24)	02-04-2007
7.	F-10/29/2010/CT/V (34)	01-04-2010
8.	F-10/24/2011/CT/V (24)	31-03-2011
9.	F-10/17/2012/CT/V (16)	31-03-2012
10.	F-10/08/2013/CT/V (10)	28-03-2013
11.	F-10/49/2014/CT/V (40)	04-03-2014

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

IndiaCode

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 अगस्त 2015— श्रावण 22, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-30/2015/वाक/पांच (56). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-वाक-पांच (78), दिनांक 29-09-1997 (यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-10/53/2003/वाक/पांच (84), दिनांक 03-09-2003 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-10-42/2014/वाक/पांच (38), दिनांक 04-03-2014) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

1. सरल क्रमांक 4 के कॉलम (3) के बिन्दु क्रमांक (दो) में, शब्द “सॉल्वेंट” के स्थान पर, शब्द एवं विरामचिन्ह “सॉल्वेंट किन्तु हेक्जेन को छोड़कर” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. सरल क्रमांक 15 के कॉलम (3) में, शब्द “सॉल्वेंट” के स्थान पर, शब्द एवं विरामचिन्ह “सॉल्वेंट, किन्तु हेक्जेन को छोड़कर” प्रतिस्थापित किया जाये.
3. यह अधिसूचना, दिनांक 03-09-2003 से प्रवृत्त माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक एफ-10-30/2015/वाक/पांच (56). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-30/2015/वाक/पांच (56), दिनांक 12-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 12th August 2015

NOTIFICATION

No. F-10-30/2015/CT/V (56). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendment in notification No. A-5-14-97-ST-V(78), dated 29-09-1997 (as amended vide notification No. F-10/53/2003/CT/V(84), dated 03-09-2003 and No. F-10-42/2014/CT/V (38), dated 04-03-2014), namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said notification,-

1. In point (ii) of column (3) of serial number 4, after the words "Solvent", the words and punctuation "Solvent, but excluding hexane" shall be substituted.
2. In column (3) of serial number 15, for the word "Solvent", the words and punctuation "Solvent, but excluding hexane" shall be substituted.
3. This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. 03-09-2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 सितम्बर 2015 — भाद्रपद 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (60). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-17/2015/वाक/पांच (30), दिनांक 31-3-2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अनुसूची के सरल क्रमांक 1 एवं 2 में प्रत्येक के कॉलम (3) में शब्द “संपूर्ण कर” के स्थान पर, शब्द “अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए” प्रतिस्थापित किये जायें.

यह अधिसूचना, दिनांक 1 सितम्बर, 2015 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (60). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (60), दिनांक 1-9-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-34/2015/CT/V (60). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Department's Notification No. F-10-17/2015/CT/V (30), dated 31-3-2015, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

In column (3) of each serial numbers 1 and 2 of the Schedule, for the words "Whole of tax", the words "Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent" shall be substituted.

This notification shall come into force from the date 1st September, 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattishgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-34/2015/वाक/पांच (61). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 1-9-2015 से 31-3-2016 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	माल के वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	सभी प्रकार के कपड़े (हैसियन क्लॉथ को छोड़कर)	संपूर्ण कर
2.	शक्कर एवं खांडसारी (मिश्री, चिरौजी, इलायची दाना और बताशा को छोड़कर)	संपूर्ण कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2015— पौष 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच(71). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-68/2007/वाक/पांच (34), दिनांक 24-05-2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

- (क) अनुक्रमांक 1 एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये; और
- (ख) क्रमशः अनुक्रमांक 3 एवं 4 के कॉलम (3) में, अंक तथा चिन्ह “7.5%” के स्थान पर, अंक तथा चिन्ह “10%” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (71). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (71), दिनांक 31-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st December 2015

NOTIFICATION

No. F-10/48/2015/CT/V (71). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-10-68/2007/CT/V (34), dated 24-05-2007 with effect from 1st January, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification,-

- (a) Serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted; and
- (b) In column (3) of serial number 3 and 4 respectively, for the figure and symbol "7.5%", the figure and symbol "10%" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (72). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-68/2007/वाक/पांच(36), दिनांक 24-07-2007 को 1 जनवरी, 2016 से समाप्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (71). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (71), दिनांक 31-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st December 2015

NOTIFICATION

No. F-10/48/2015/CT/V (71). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-10-68/2007/CT/V (34), dated 24-05-2007 with effect from 1st January, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification,-

- (a) Serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted; and
- (b) In column (3) of serial number 3 and 4 respectively, for the figure and symbol "7.5%", the figure and symbol "10%" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (72). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-68/2007/वाक/पांच(36), दिनांक 24-07-2007 को 1 जनवरी, 2016 से समाप्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (72). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (72), दिनांक 31-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st December 2015

NOTIFICATION

No. F-10/48/2015/CT/V (72). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, revokes this Department's Notification No. F-10-68/2007/CT/V (36), dated 24-07-2007 with effect from 1st January, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.